प्रकाशन संख्या 1

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

की

# आचार समिति

का

# प्रथम प्रतिवेदन

(दिनांक 5-11-15 को सदन में उपस्थापित) ।

# बिहार विधान सभा सचिवालय

## आचार समिति वित्तीय वर्ष 2015-16

## (पंचदश बिहार विधान सभा)

**सभापति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री सदानन्द सिंह | स॰वि॰स॰ |

**सदस्यगण**

| | | |
|---|---|---|
| 2. | श्री चन्द्रमोहन राय | स॰वि॰स॰ |
| 3. | श्री अवधेश कुमार राय | स॰वि॰स॰ |
| 4. | डा॰ फैयाज अहमद | स॰वि॰स॰ |
| 5. | श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव | स॰वि॰स॰ |

**बिहार विधान सभा सचिवालय**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री राजीव कुमार | प्रभारी सचिव |
| 2. | श्री भूदेव राय | उप सचिव |
| 3. | श्री गणेश कुमार | अवर सचिव |
| 4. | श्री रंजय कुमार | सहायक |

# प्राक्कथन

मैं, आचार समिति के सभापति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के अधीन श्री सुरेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ से प्राप्त परिवाद पत्र जिसमें श्री गजानन्द शाही, मा० सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा, शेखपूरा के विरूद्ध कड़े शब्दों का व्यवहार किये जाने से संबंधित आचार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन को दिनांक 5 नवम्बर, 2015 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

समिति के माननीय सदस्यगण ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समिति का जो सहयोग दिया है, वह सराहनीय है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

5/11/2015

सदानन्द सिंह,
सभापति, आचार समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना :
दिनांक 5 नवम्बर, 2015 (ई०)।

# विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| 1. आचार समिति का गठन वर्ष 2015-16 | क |
| 2. प्राक्कथन | ख |
| 3. प्रतिवेदन | 1–4 |
| 4. परिशिष्ट | 5–20 |


129 एल0ए0

## प्रतिवेदन

माननीय विधायक श्री गजानन्द शाही-170 बरबीघा विधान सभा द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश शाही, बि.प्र.से. वरीय उपसमाहर्ता सह कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत, बरबीघा के साथ दिनांक-07.05.2015 को दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा पत्रांक-32, दिनांक-08.05.2015 (परि०-I) के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को परिवाद पत्र दिया गया, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा पत्रांक-आ०शा०-50/295/मु०मं०स० पटना, दिनांक-18.05.2015 (परि०-II) द्वारा प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को उक्त परिवाद पत्र को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित की गई । संसदीय कार्य विभाग के पत्र संख्या-सं०का०-1/विविध-4022(पार्ट)-442(अनु०), दिनांक[illegible]6.2015 (परि०-III) द्वारा अनु० (परिवाद पत्र सहित) इसे अग्रतर कार्रवाई हेतु बिहार विधान सभा को उपलब्ध करायी गई ।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ से प्राप्त अभ्यावेदन को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-229(ज) के तहत गठित आचार समिति को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-201 के तहत कार्रवाई हतु दिनांक-26.06.2015 को सौंप दिया गया ।

आचार समिति की दिनांक-29.06.2015 की बैठक में उक्त अभ्यावेदन को सर्वसम्मति से समिति के विचारार्थ स्वीकारने की सहमति दी गई तथा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समिति की आगामी बैठक में इस विषय को रखा जाय ।

आचार समिति की दिनांक-17.07.2015 की बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्य श्री गजानन्द शाही को समिति की आगामी बैठक दिनांक-01.08.2015 को बस्तु स्थिति के साथ बैठक में आमंत्रित करने हेतु अनुरोध किया जाय । उक्त आलोक में सभा सचिवालय के पत्र संख्या-वि०स० आचार-04/15-1330, दिनांक-30.07.2015 द्वारा माननीय सदस्य श्री गजानन्द शाही को पत्र लिया गया । (परिशिष्ट-IV पर द्रष्टव्य)

आचार समिति की दिनांक-01.08.2015 की बैठक में माननीय सदस्य श्री गजानन्द शाही द्वारा अपना लिखित पक्ष पत्रांक-शून्य, दिनांक-01.08.2015 (परि०-V) समिति के समक्ष दिया गया । माननीय सदस्य द्वारा समिति के समक्ष कहा गया कि श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, बरबीघा नगर पंचायत को 6 (छ:) महीने से लगातार कह रहे थे कि नाली की उड़ाही

करायी जाये तो जिलाधिकारी, शेखपुरा के समक्ष ही उन्होंने कहा कि फोकलेन खरीदनी होगी और उसके बाद ही नाली की उड़ाही का काम किया जा सकता है । फोकलेन के खरीदने के प्रोसेस में ही 5-6 महीने लग जायेंगे और तब तक बरसात आ जायेगा और नाली की उड़ाही नहीं हो पायेगी, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उस पदाधिकारी पर नराजगी व्यक्त की और कड़े शब्दों का व्यवहार किया था । हमने जरूर कहा कि बड़े पदाधिकारी जनहित के कार्यों को नहीं करना चाहते हैं, और बेवजह हर काम में विलंब करते हैं ।

समिति द्वारा उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति की आगामी दिनांक-20.08.2015 को निर्धारित बैठक में श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उपसमाहर्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी, बरबीघा नगर पंचायत को अपने लिखित पक्ष के साथ आमंत्रित किया जाय । समिति के उक्त निर्णय के आलोक में सभा सचिवालय द्वारा पत्रांक-1428, दिनांक-08.08.2015 द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उपसमाहर्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा को पत्र लिखा गया (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) ।

समिति की दिनांक-20.08.2015 की बैठक में श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उपसमाहर्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा द्वारा कार्यालय जिलापदाधिकारी, शेखपुरा का पत्रांक-694/गो० दिनांक-03.08.2015 (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का ज्ञापांक-02, दिनांक-07.05.2015 (परि०-VIII) समिति के समक्ष दिया गया । श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उपसमाहर्ता द्वारा समिति के समक्ष यह जानकारी दी गई कि माननीय सदस्य तेऊस नाला की उड़ाही के संबंध में कह रहे थे, नाला वर्ष 2009 में बना था । उस समय नाला की गहराई 10 फीट के करीब थी । नाला में पानी बहुत ज्यादा था । पानी की गहराई उस समय 8 या 9 फीट थी तो माननीय सदस्य कहते हैं कि मेनुअल काम क्यों नहीं करा रहे हैं तो हमने कहा कि नाले में पानी की गहराई कम हो जायेगी तो उड़ाही का कार्य हो जायेगा । समिति द्वारा जब यह पूछा गया कि आपने माननीय सदस्य के विरूद्ध लिखकर आरोप लगाया कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया है । वरीय उप-समाहर्त्ता द्वारा यह कहा गया कि अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया जिलाधिकारी के सामने और वरीय पदाधिकारी के सामने । समिति द्वारा यह पूछा गया कि बाद में आपने मैनुअली ही कार्य कराया या नहीं जिसपर उन्होंने कहा कि जी हाँ ।

जिला पदाधिकारी, शेखपुरा का प्रतिवेदन पत्रांक-694/गो०, दिनांक-03.08.2015 जो अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को जाँच प्रतिवेदन संबोधित है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ''श्री गजानन्द शाही, माननीय विधायक द्वारा जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में आकर श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप-समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा के विरूद्ध तेऊस नाला

उड़ाही हेतु निदेश दिया गया परन्तु श्री प्रकाश द्वारा इस कार्य को सम्पन्न कराने में स्थानीय स्तर पर मजदूरों से असमर्थता व्यक्त की गई, चूँकि नाला में पानी ज्यादा गहरा था जैसा कि श्री प्रकाश द्वारा बतलाया गया । उपस्थित वरीय पदाधिकारी द्वारा तत्काल नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ से मशीन मांगने की बात की गई किन्तु इस पर माननीय विधायक उत्तेजित होकर बाहर निकल गये ।

जाँच पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि चूँकि परिवाद पत्र के साथ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में जाँच संभव नहीं है ।

समिति की दिनांक-20.08.2015 की बैठक में सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आचार समिति की आगामी बैठक दिनांक-28.08.2015 को 3.30 बजे अप० में निर्धारित की जाय और उस बैठक में तत्कालीन जिला पदाधिकारी, शेखपुरा जो वर्तमान में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर (श्री प्रणव कुमार) में पदस्थापित हैं, उनको आमंत्रित की जाय । समिति के उक्त निर्णय के आलोक में सभा सचिवालय के पत्रांक 1529, दिनांक- 25.08.2015 द्वारा जिलाधिकारी, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया (परिशिष्ट IX पर द्रष्टव्य)

समिति की दिनांक-28.08.2015 की बैठक में तत्कालीन जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से समिति द्वारा दिनांक-07.05.2015 की घटना के संबंध में पूछा गया कि श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा द्वारा समिति के समक्ष यह जानकारी दी गई कि माननीय विधायक द्वारा बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और हमने उनको कुछ नहीं कहा है । समिति ने जब उनसे पूछा कि आप अपने एसोशिएशन के माध्यम से इस बात को उपर तक ले गये तो उनका कहा था कि इसमें मेरा हाथ नहीं है । इस पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा समिति के समक्ष यह कहा गया कि तीन चार पदाधिकारी वहाँ पर थे । माननीय विधायक कुछ कड़े शब्द का प्रयोग किये और उत्तेजित होकर बाहर निकल गये और शब्द की सीमा और प्रकृति क्या थी मुझे यह आज की तारीख में याद नहीं है ।

## <u>समिति का निष्कर्ष</u>

आचार समिति माननीय विधायक श्री गजानन्द शाही, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, बरबीघा नगर पंचायत श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप-समाहर्त्ता के साथ-साथ तत्कालीन जिला पदाधिकारी से लिये गये साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कई बार विधायक श्री शाही द्वारा तेउस नाला की सफाई (उड़ाही) के आग्रह करने के बाद उड़ाही नहीं होने पर विधायक श्री शाही ने कड़े शब्दों का प्रयोग किया होगा । जन-प्रतिनिधियों को जनता की शिकायतों को सुनना पड़ता है, वहीं जनता का सीधा सम्पर्क पदाधिकारियों से नहीं हो पाता, लगातार जनता की शिकायतों को सुनते-सुनते जन-प्रतिनिधियों का पदाधिकारी पर गुस्सा होना स्वभाविक है । हो सकता है कि श्री शाही उसी अवस्था में गुस्से में कड़े शब्दों का प्रयोग किये हों ।

परन्तु इसकी पुष्टि हेतु संबंधित पदा० द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इसकी पुष्टि तत्कालीन जिला पदाधिकारी (वर्त्तमान में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर श्री प्रणव कुमार) द्वारा दिनांक-28.08.2015 की समिति की बैठक में की गई ।

अत: समिति ऐसी महसूस करती है कि विधायकों को भी संयम नहीं खोना चाहिये वहीं पदाधिकारियों को भी जनता की कठिनाईयों के निराकरण में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिये । जनता की समस्याओं के निराकरण का दायित्व भी पदाधिकारियों पर है ।

उपर्युक्त स्थिति में किसी तरह की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

## समिति की अनुशंसा

समिति अनुशंसा करती है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रतिनिधियों को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन स्थापित मर्यादाओं के अन्तर्गत करना चाहिए ।

5/11/2015

पटना :
दिनांक 5 नवम्बर, 2015 (ई0)।

(सदानन्द सिंह)
सभापति,
आचार समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

# परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

# बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003323/9431479174

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० [illegible]

उपाध्यक्ष – * सआदत हसन मिन्टू
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव – * राजमणि कठियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष – * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष – * विनोद आनन्द

पत्रांक : 32 दिनांक 8/5/2015

PAD-MLAC.
Pri. Secy. PAD

01/5221

सेवा में,

मानानीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :– माननीय विधायक श्री गजानन्द शाही–170 बरबीघा विधान सभा द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश, बि०प्र०से० के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक जिला इकाई शेखपुरा द्वारा (प्रति संलग्न) सूचित किया गया है कि दिनांक 07.05.2015 को जनता के दरबार मे जिला पदाधिकारी कार्यक्रम मे श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बरबीघा को श्री गजानन्द शाही उर्फ मुन्ना शाही माननीय विधायक द्वारा कडे लहजे में कहने लगे कि तेऊस पाईन नाला (जो बरबीघा के मुख्य बाजार से होकर गुजरता है) यदि साफ नही होता है तो "श्री ज्ञान प्रकाश को ही नाला मे फेंक देते है, नाला अपने आप साफ हो जाएगा" माननीय विधायक ने जोर–जोर से धमकी भरे लहजे मे जिला पदाधिकारी, आमजनता एवं जिला के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति मे श्री ज्ञान प्रकाश को यह भी कहा कि "तुम्हारे घर पर विजिलेन्स से रेड करवा कर ही रहेंगे।"

उपरोक्त घटना पर जिला इकाई शेखपुरा द्वारा घोर निन्दा करते हुए दिनांक 08.05.2015 एवं 09.05.2015 को सांकेतिक रूप से काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे है तथा माननीय विधायक अधिकारियों के बीच उपस्थित होकर जब तक खेद प्रकट नहीं कर लेते है तब तक विधायक जी के सारे कार्यक्रमो का बहिष्कार जिला इकाई शेखपुरा द्वारा किया जाएगा।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ उपरोक्त घटना की घोर निन्दा करता है तथा जिला इकाई शेखपुरा के द्वारा लिये गये निर्णय का समर्थन करता है।

संघ का भवदीय से अनुरोध है कि उपरोक्त घटना पर व्यक्तिगत ध्यान देकर माननीय विधायक पर न्यायोचित कार्रवाइ की जाए।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

0001 14051500123

## परिशिष्ट–II

पत्र संख्याः आ0शा0– 501295/मु0मं0स0 पटना, दिनांक – 18.05.2015

बिहार सरकार

# मुख्य मंत्री सचिवालय

प्रेषक : **विशेष कार्य पदाधिकारी** (आवेदन शाखा)
मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

सेवा में : **प्रधान सचिव,**
संसदीय कार्य विभाग,
बिहार,–पटना।

विषय : मुख्य मंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन परिवाद पत्रों का प्रेषण।

महाशय,

मुख्य मंत्री सचिवालय में प्राप्त निम्नांकित 01 आवेदन पत्रों, इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। ये परिवाद पत्र पूर्व से ही वेबसाईट https://www.bpgrs.in पर उपलब्ध है। कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन कृपया वेबसाईट पर ही अपलोड करवाने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक– यथा निम्नवत्।

विश्वासभाजन

( राकेश कुमार )
**विशेष कार्य पदाधिकारी**
मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

| क्रमांक | संदर्भ संख्या | आवेदक का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 00001140515O123 | SURESH KUMAR SHARMA |

2306
28.5.15

परिशिष्ट–III ५५२ आ

पत्र संख्या–सं0का0–1/विविध–4022/2014 (पार्ट)–552/

**बिहार सरकार**

**संसदीय कार्य विभाग**

प्रेषक,

बृज राज राय,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
~~बिहार विधान सभा, पटना।~~

पटना, दिनांक–18 जून, 2015

विषयः *श्री सुरेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पत्रांक–32 दिनांक 08.05.2015 पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।*

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्रांक 501295 दिनांक 18.05.2015 (संदर्भ सं0–00001–1405150123) द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का पत्र सं0–32 दिनांक 08.05.2015 इस विभाग में प्राप्त हुआ है। पत्र द्वारा माननीय विधायक श्री गजानन्द शाही, 170 वरबीघा विधान सभा सदस्य द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत वरबीघा को कड़े लहजे में धमकी देने का आरोप लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय विधायक पर न्यायोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि उपरोक्त घटना पर जिला इकाई शेखपुरा द्वारा घोर निन्दा करते हुए दिनांक 08.05.2015 एवं 09.05.2015 को सांकेतिक रूप से काला बिल्ला लगाकर कार्य किया जा रहा है तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि माननीय विधायक अधिकारियों के बीच उपस्थित होकर जब तक खेद प्रकट नहीं कर लेते तब तक विधायक जी के सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार जिला इकाई शेखपुरा द्वारा किया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ उक्त घटना की घोर निन्दा करता है तथा जिला इकाई शेखपुरा के द्वारा लिये गये निर्णय का समर्थन करता है। चूंकि आवेदन पत्र की विषयवस्तु बिहार विधान सभा सचिवालय से संबंधित है। अतः निदेशानुसार प्राप्त पत्र मूल रूप में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि कृत्त कार्रवाई से मुख्यमंत्री सचिवालय, आवेदक एवं इस विभाग को अवगत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोपरि।

विश्वासभाजन

(बृज राज राय) 18.06.2015
सरकार के उप सचिव।

परिशिष्ट–IV

## बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0–वि0स0आचार–04/15– 1330 /वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री संजीव कुमार,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

श्री कमानन्द शाही,
मा0सदस्य,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2015 ई0 ।

विषयः– आचार समिति की बैठक में उपस्थित होने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आचार समिति की दिनांक–17.07.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा के विरुद्ध आपके द्वारा कड़े शब्दों का प्रयोग किये जाने संबंधी विषय पर समिति दिनांक–01.08.2015 को 3.30 बजे अप0 की बैठक में आपसे वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करेगी ।

अतः संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त पत्र संख्या–442, दिनांक–18.06.2015 एवं अनु0(2) की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि दिनांक–01.08.2015 को 3.30 अप0 में सभापति कक्ष, आचार समिति, बिहार विधान सभा, पटना में उपस्थित होने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(संजीव कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट–V

गजानन्द शाही
सदस्य
बिहार विधान सभा
बरबीघा

आवास :
हरगोविन्द भवन
डाकबंगला रोड, पटना–1
मोबाईल– 9473199169, 9835024169

पत्रांक.........................

दिनांक 1/8/15

सेवा में,

सभापति महोदय,
आचार समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

विषयः श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उपसमाहर्ता, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेखपुरा द्वारा जनप्रतिनिधि को अपमानित करने एवं कर्तव्य की घोर उपेक्षा के विरूद्ध परिवाद पत्र।

महोदय,

सांकेतिक विषय के संबंध में विनम्रतापूर्वक कहना है कि :–

1. मैं बरबिगघा विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूँ मेरा कर्तव्य एवं दायित्व है कि मैं क्षेत्र की जनता की कठिनाईयों एवं समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करूँ। इसी क्रम में मै दिनांक 07.05.2015 को जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के जनता दरबार में उपस्थित होकर सूचित किया कि तउसाईन नाला की उराही एवं सफाई बार–बार अनुरोध करने के बावजूद श्री ज्ञान प्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जनसमस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। जबकि नाला भरा हुआ है एवं सरांध के कारण भीषण महामारी फैलने की संभावना उत्पन्न हो रही। जिससे क्षेत्र के नागरिकों को भारी कठिनाईयाँ होगी। मेरे अनुरोध पर उक्त पदाधिकारी ने ऊँची आवाज में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा की नाला उराही करने वाला मशीन जिला में उपलब्ध नही है। जिला पदाधिकारी ने निकटवर्ती जिला नालंदा के कार्यपालक पदाधिकारी से फोन पर बात करके मशीन उपलब्ध कराने की बात कही। इस पर श्री ज्ञान प्रकाश अत्यधिक उत्तेजित हो गये और बोले की मशीन क्रय करने के बाद हीं नाला की सफाई कराई जा सकती है।

2. मैंने विनम्रतापूर्वक कहा की मशीन क्रय करने में जटिल प्रक्रिया होती है एवं अधिक समय भी लग जायेगा तथा मशीन क्रय में सरकारी धन की बर्बादी होगी जबकि मशीन नालंदा जिला से उपलब्ध हो सकता है।

गजानन्द शाही
सदस्य
बिहार विधान सभा
बरबीघा

आवास :
हरगोविन्द भवन
डाकबंगला रोड, पटना-1
मोबाईल- 9473199169, 9835024169

पत्रांक.......................... दिनांक..........................

होती है जिसमें सरकार की आलोचना होती है। मेरे इस सुझाव को उक्त पदाधिकारी ने गलत अर्थ निकाला की उनपर कमिशनखोरी का अप्रत्यक्ष आरोप लगाया जा रहा है। जबकि मेरी मंशा यह कतई नहीं थी। उक्त पदाधिकारी ने भरी जनता दरबार में मुझे देख लेने की धमकी तक दे डाली। क्षेत्र की जनता द्वारा उनकी क्रियाकलाप एवं प्रशासनिक अदक्षता की शिकायत मिलती है। उक्त पदाधिकारी कई वर्षों से इस जिला में डटे हुए हैं तथा कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभारी भी है पता नहीं उन्हें कैसे कई विभागों का प्रभार सौपा गया है यह जाँच का विषय है।

3. यह भी सुनने में आया है कि उनके विरूद्ध CJM के यहाँ अपराधिक परिवाद पत्र भी दायर हुआ है। यह भी आवश्यक है कि उनके द्वारा अर्जित अकूत सम्पत्ति की भी जांच कराई जाये। उक्त पदाधिकारी अपने उदंड आचरण एवं कर्तव्यहीनता पर पर्दा डालने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा संघ में इस मामले को अपनी प्रतिरक्षा में खड़ा किये है। यह जनप्रतिनिधि को खुलेयाम अपमानित एवं मनोबल तोड़ने का प्रयास है जो बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली के विरूद्ध है।

अतः उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में यह आवश्यक है कि इस प्रकरण की जांच सरकार के किसी सचिव स्तर के पदाधिकारी एवं निगरानी विभाग से कराया वांछनीय है अन्यथा किसी भी जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा निरापद नहीं रहेगी, साथ ही साथ नगर पंचायत की एवम् तेउसाइन नाला का भी जांच कराया जाय ताकि सही स्थिति का पता चल सकें।

नोटः साथ मे क्षेत्रिय जनता का आवेदन भी संलग्न है।

भवदीय
गजानन्द शाही
(गजानन्द शाही)

(144)

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
शेखपुरा

विषय :- बरबीघा नगर पंचायत की नारकीय स्थिति एवं जनप्रतिनिधि के शिकायत पर बाहा के पदाधिकारियों के निर्णय के संबंध में।

महाशय,

(I) ज्ञातव्य हो कि बरबीघा नगर पंचायत के ड्रेनेज की स्थिति नारकीय है। गंदगी से महामारी की संभावना है। पिछले 4 (चार) महीने से जनप्रतिनिधि द्वारा सफाई की मांग की जाती रही है एवं प्रशासन के द्वारा लगातार आश्वासन भी मिलता रहा लेकिन आज की तिथि तक स्थिति नारकीय ही है। जो प्रशासनिक अक्षमता ही माना जायगा।

(II) यह कि श्रीमान भी पिछले तीन महीनों से इस समस्या से अवगत हैं।

(III) यह कि जब श्रीमान के जनता दरबार में जनप्रतिनिधि द्वारा आवाज उठायी गई तो समस्या को दबाने के लिए बाहा के पदाधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय दुःखद है एवं जनप्रतिनिधि का अपमान है।

(IV) यह कि यह बरबीघा नगर पंचायत के सभी जनता के साथ अन्याय एवं अपमान है।

(V) यह कि बाहा के निर्णय का भय दिखलाकर जनता की आवाज को बन्द नहीं किया जा सकता।

(VI) यह कि अगर प्रशासन अपनी ताकत पर विश्वास करता है तो जनता के पास भी अपनी ताकत है एवं तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर जनता जन आन्दोलन के लिए बाध्य होगी।

(VII) यह कि अक्षम पदाधिकारी को तीन-तीन पद पर रखकर प्रशासन को और पंगु बनाया जा रहा है जो कि जनता के साथ अन्याय है।

(VIII) बरबीघा नगर पंचायत में लगातार चोरी

कहने पर नगर पंचायत के सभी लाइटों को ठीक करने की माँग की गई लेकिन पाँच महीना बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यह प्रशासनिक अक्षमता नहीं तो और क्या है।

(14) यह कि अगर प्रशासनिक अक्षमता को छिपाने के लिए जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाया जायेगा एवं जनता के साथ अन्याय किया जाता रहेगा एवं प्रशासनिक भय का माहौल बनाया जायेगा तो बरौलिया विधान सभा के सभी जनप्रतिनिधि एवं समस्त जनता जन-आन्दोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी।

आपका विश्वासी

(1) शंभु सिंह सज्जन [illegible]
(2) शिवाजीराव [illegible]
(3) चन्दा कुमार - सामाजिक कार्यकर्ता
(4) [illegible] मुखिया [illegible]
(5) राहुल [illegible]
(6) [illegible] अध्यक्ष
(7) [illegible]
(8) [illegible]
(9) उदय महतो [illegible]
(10) रामविनोद प्रसाद सिंह - मुखिया - [illegible]
(11) सुजीत कुमार नगर पंचायत बरौलिया

नोट :— प्रतिलिपि :— माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार
" माननीय मंत्री नगर विकास विभाग बिहार सरकार
" माननीय मुख्य सचिव बिहार [illegible]

परिशिष्ट–VI

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0–वि0स0आचार–04/2015– 1428 /वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री संजीव कुमार,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

श्री ज्ञानप्रकाश,
वरीय उपसमाहर्त्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बरबीघा, शेखपुरा ।

पटना, दिनांक– 08 अगस्त, 2015 ई0 ।

विषय:– आचार समिति की दिनांक–20.08.2015 को 3.30 बजे अप0 में आयोजित बैठक में उपस्थित होने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आचार समिति की दिनांक–01.08.2015 को सम्पन्न बैठक में श्री गजानन्द शाही, स0वि0स0 द्वारा आपके विरूद्ध जनप्रतिनिधि को अपमानित करने एवं कर्त्तव्य की घोर अपेक्षा से संबंधित लिखित पक्ष दिया गया है । समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आचार समिति की दिनांक– 20.08.2015 को 3.30 बजे अप0 में श्री ज्ञानप्रकाश, वरीय उपसमाहर्त्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा को अपने लिखित पक्ष के साथ आयोजित बैठक में आमंत्रित किया जाय ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि आचार समिति की दिनांक–20.08.2015 को 3.30 बजे अप0 में अपने लिखित पक्ष के साथ सभापति कक्ष, आचार समिति, बिहार विधान सभा, पटना में उपस्थित होने का कृपा किया जाय ।

विश्वासभाजन,

संजीव कुमार 08.08.15

( संजीव कुमार )
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
8-8-15

परिशिष्ट–VII

दूरभाष संख्या : 06341–223041 (का.)
06341–223100 (आ.) 223001/225202 (फै.)
E-mail : dm-sheikhpura.bih@nic.in

# कार्यालय जिला पदाधिकारी, शेखपुरा

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक 695 /गो0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा ।

सेवा में,

सरकार के अपर सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार पटना।

शेखपुरा, दिनांक 03/08/2015

विषय :– श्री ज्ञान प्रकाश, बि0प्र0से0, वरीय उपसमाहर्त्ता, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा के विरूद्ध श्री गजानन्द शाही, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के द्वारा समर्पित परिवाद की जांच के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 8072 दिनांक 05.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त परिवाद पत्र की जांच इस कार्यालय के पत्रांक 546/गो0 दिनांक 18.06.2015 द्वारा निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा से करायी गयी। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया हैं कि घटना दिनाक 07.05.15 की है। श्री गजानन्द शाही माननीय विधायक द्वारा जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में आकर श्री ज्ञान प्रकाश वरीय उपसमाहर्त्ता –सह– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा के विरूद्ध तेउस नाला उड़ाही हेतु निदेश दिया गया। किन्तु श्री प्रकाश द्वारा इस कार्य को सम्पन्न कराने में स्थानीय स्तर पर मजदूरों से असमर्थता व्यक्त की गई। चूंकि नाला में पानी ज्यादा गहरा था, जैसा कि श्री प्रकाश द्वारा बतलाया गया। उपस्थित वरीय पदाधिकारी द्वारा तत्काल नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहार शरीफ से मशीन मांगने की बात की गई, किन्तु इसपर माननीय विधायक उत्तेजित होकर बाहर निकल गये।

जांच पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि चूंकि परिवाद पत्र के साथ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जांच संभव नहीं है। सुलभ प्रसंग हेतु जांच प्रतिवेदन संलग्न है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

3/8/15

अनुलग्नक :– यथोक्त।

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

Tel :- 06341-223304
Email :- ddc-sheikhpura-bih@nic.in
Fax :- 224903

# कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा

पत्रांक 02(प्र0) /

प्रेषक,

निदेशक,
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
शेखपुरा

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

शेखपुरा, दिनांक 27.07.15 /

विषय :- श्री ज्ञान प्रकाश (वि0प्र0से0), वरीय उपसमाहर्त्ता, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा के विरूद्ध श्री गजानंद शाही, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के द्वारा समर्पित परिवाद की जाँच के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 546/गो0 दिनांक 18.06.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में विषय वस्तु की जाँच की गई। घटना दिनांक 07.05.2015 की है, श्री गजानन शाही, माननीय विधायक जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में आकर श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अंतर्गत, तेउस नाला की उड़ाही हेतु निदेश दिये किन्तु श्री प्रकाश द्वारा इस कार्य को संपन्न कराने में स्थानीय स्तर पर मजदूरों से असमर्थता व्यक्त की गई, चूंकि नाले में पानी ज्यादा गहरा था, जैसा कि श्री प्रकाश द्वारा बतलाया गया। उपस्थित वरीय पदाधिकारी द्वारा तत्काल नगर आयुक्त से मशीन मांगने की बात की गई, किन्तु इसपर माननीय विधायक उत्तेजित होकर बाहर निकल गये।

जहाँ तक अन्य आरोप है, इसकी जाँच मेरे स्तर से संभव प्रतीत नही है, साथ ही समर्पित आरोप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है।

प्रतिवेदन सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

27.07.15
निदेशक,
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
शेखपुरा

[illegible]

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषय : श्री ज्ञान प्रकाश, कनीय अभियन्ता / प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेखपुरा द्वारा जनप्रतिनिधि को अपमानित करने एवं कर्तव्य की घोर उपेक्षा के विरुद्ध परिवाद पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विनम्रतापूर्वक कहना है कि:-

मैं शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूँ मेरा कर्तव्य एवं दायित्व है कि मैं क्षेत्र की जनता की कठिनाईयों एवं समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करूं। इसी क्रम में मैं दिनांक 07.05.2015 को जिला पदाधिकारी शेखपुरा के जनता दरबार में उपस्थित होकर सूचित किया कि नगर पंचायत नालों की उड़ाही एवं सफाई बार-बार अनुरोध करने के बावजूद श्री ज्ञान प्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जलनिकासी का निराकरण नहीं किया जा रहा है। क्योंकि नाला भरा हुआ है एवं कचरे के कारण भीषण महामारी फैलाने की संभावना उत्पन्न हो रही। जिससे क्षेत्र के नागरिकों को भारी कठिनाईयाँ होंगी। मेरे अनुरोध पर उक्त पदाधिकारी ने ऊँची आवाज में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि नाला उड़ाही करने वाला मशीन जिला में उपलब्ध नहीं है। जिला पदाधिकारी ने निकटवर्ती जिला [illegible] के कार्यपालक पदाधिकारी से [illegible] मशीन उपलब्ध कराने को कहा। इस पर श्री ज्ञान प्रकाश अत्यधिक उत्तेजित हो गये और बोले कि मशीन [illegible] करने के बाद भी नाला की [illegible] जा सकती है।

2. मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मशीन [illegible] करने में जटिल प्रक्रिया होती है [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] के [illegible] है.

यह सर्वविदित है कि प्रशासन का आधार सिद्धान्त [illegible] में [illegible] अंतर्निहित होता है. महोदय [illegible] एवं [illegible] की [illegible] रहने के भी महालेखाकार, बिहार द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी भी अंकित

[illegible] बिहार सरकार को [illegible] मुझ [illegible]

[illegible] एवं [illegible] [illegible] आरोप [illegible]

[illegible] है। क्योंकि [illegible] नहीं [illegible] पदाधिकारी [illegible]

इनके समय में मुझे [illegible] की [illegible] द्वारा [illegible] की जनता द्वारा

इनकी क्रियाकलाप एवं प्रशासनिक अक्षमता की शिकायत मिलती है। इस पदाधिकारी कई वर्षों से इस जिले में जुटे हुए हैं तथा कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार भी है क्या नहीं उन्हें कैसे कई विभागों का प्रभार सौंपा गया है यह जांच का विषय है।

यह भी सुनने में आया है कि उनके विरुद्ध CBI में यहाँ अत्यधिक परिवाद पत्र भी दायर हुआ है। यह भी आवश्यक है कि उनके द्वारा अर्जित अकूत सम्पत्ति की भी जांच कराई जाये। इस पदाधिकारी अपने उदंड आचरण एवं कर्तव्यहीनता पर पर्दा डालने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा में खड़ा किये है। यह जनप्रतिनिधि को खुलेआम अपमानित एवं मनोबल तोड़ने का प्रयत्न है जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरुद्ध है।

अतः उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में यह आवश्यक है कि इस प्रकरण की जांच सरकार के किसी सचिव स्तर के पदाधिकारी एवं निगरानी विभाग से कराना वांछनीय है अन्यथा किसी भी जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा निरापद नहीं रहेगी, साथ ही साथ ग्राम पंचायत की [illegible] की भी जांच करायी जाय ताकि सही स्थिति का पता चल सके।

भवदीय

(गजानन्द शाही)

परिशिष्ट–VIII

आज दिनांक 07.05.2015 को जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी कार्यक्रम में श्री ज्ञान प्रकाश (कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचयात बरबीघा सह वरीय उप समाहर्त्ता, शेखपुरा) की ओर मुखातिब होकर श्री गजानन्द शाही उर्फ मुन्ना शाही (माननीय विधायक, 170 बरबीघा विधान सभा, जिला--शेखपुरा) कड़े लहजे में कहने लगे कि तैऊस पाईन नाला (जो बरबीघा के मुख्य बाजार से होकर गुजरता है) यदि साफ नहीं होता है तो "श्री ज्ञान प्रकाश को ही नाला में फेक देते हैं, नाला अपने आप साफ हो जायेगा।" माननीय विधायक ने जाते–जाते धमकी भरे लहजे में जिला पदाधिकारी, आम जनता एवं जिला के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्री ज्ञान प्रकाश को यह भी कहा कि "तुम्हारे घर पर विजिलेन्स से रेड करवा कर ही रहेंगे।" श्री ज्ञान प्रकाश के साथ माननीय विधायक जी के इस दुर्व्यवहार की बासा जिला इकाई शेखपुरा घोर निन्दा करती है।

1. माननीय विधायक श्री गजानन्द शाही इस दुर्व्यवहार के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच उपस्थित होकर जब तक खेद प्रकट नहीं कर लेते हैं तब तक विधायक जी के सारे कार्यक्रमों की बहिष्कार करने का निर्णय सर्वसम्मति से बासा शेखपुरा इकाई द्वारा लिया गया।

2. बासा जिला इकाई शेखपुरा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लेती है कि श्री ज्ञान प्रकाश के साथ विधायक जी के इस दुर्व्यवहार के विरोध में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शुक्रवार 08.05.2015 एवं शनिवार 09.05.2015 को सांकेतिक रूप से काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे।

3. बासा जिला इकाई शेखपुरा, संघ के सदस्य श्री ज्ञान प्रकाश के साथ माननीय विधायक के इस प्रकार के दुर्व्यवहार को राज्य सरकार के संज्ञान में लाने के लिए बासा केन्द्रीय इकाई से आग्रह करती है।

4. उक्त घटना चूँकि जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में घटित हुई है इसलिए बासा जिला इकाई शेखपुरा, जिला पदाधिकारी से अनुरोध करती है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मान–सम्मान की रक्षा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष,
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,
जिला इकाई, शेखपुरा।

ज्ञापांक :........02......./ दिनांक : 07.05.2015/

प्रतिलिपि :– महासचिव, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, वि०प्र०से० संघ पटना को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,
जिला इकाई, शेखपुरा।

परिशिष्ट–IX

फैक्स/स्पीडपोस्ट

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०–बि०स०आचार समिति–04/15–1529/बि०स० ।

प्रेषक,

श्री संजीव कुमार,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा,पटना ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर ।

पटना,दिनांक–25 अगस्त,2015 ई० ।

विषयः– आचार समिति की दिनांक–28.08.2015 को 3.30 बजे अप० में आयोजित बैठक में उपस्थित होने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आचार समिति की दिनांक–20.08.2015 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार समिति आपसे तत्कालीन जिला पदाधिकारी,शेखपुरा की पदस्थापना के समय आपके समक्ष दिनांक–07.05.2015 को मा० सदस्य श्री गजानन्द शाही एवं श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उपसमाहर्त्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत,बरबीघा के बीच घटी घटना के संबंध में,समिति की आगामी निर्धारित बैठक दिनांक–28.08.2015 को 3.30 बजे अप० में,जानकारी लेना चाहती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आचार समिति की दिनांक–28.08.2015 को 3.30 बजे अप० की बैठक में सभापति कक्ष,आचार समिति,बिहार विधान सभा, पटना में उपस्थित होने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

संजीव कुमार
25/08/15

( संजीव कुमार )
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा,पटना ।

25-8-15

मधुप/

आचार समिति की दिनांक- 05.11.2015 को 3.30 बजे अपराह्न में सभा सचिवालय में सभापति कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :-

श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० - सभापति
श्री चन्द्र मोहन राय, स०वि०स० - सदस्य

सभापति : बिहार विधान सभा की आचार समिति का प्रथम प्रतिवेदन "विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रतिनिधियों को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन स्थापित मर्यादाओं के अन्तर्गत करना चाहिए ।" की अनुशंसा के साथ आज दिनांक 5.11.2015 की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सदन में उपस्थापित करने के पूर्व प्रतिवेदन का मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन का आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय से प्राप्त किया जाय । .

साथ-ही, यह भी निर्णय लिया जाता है कि सदन के सत्र में नहीं रहने के कारण सभापति माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के समक्ष प्रतिवेदन उपस्थापित करें ।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई ।

बि० स० मु० (एल० ए०) 129–डी० टी० पी०–300